क्रम-संख्या—611

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 9 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 18, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1609/सत्तह्—वि—1—1 (क) 20—1986

लखनऊ: 9 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1)—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 21 मई, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 50 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1986

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1609 (2) /XVII-V-1—1 (KA) -20-86
Dated Lucknow, September 9, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1986), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 8, 1986 :

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act no. 15 of 1986)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 21, 1986.

Amendment of section 50 of Presisdent's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no.29 of 1974

2. In section 50 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1-A), *for* the word and figures "December 31, 1985" the word and figures "December 31, 1987" shall be and be deemed always to have been *substituted*, and

(*b*) in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 1985" the word and figures "December 31, 1987" shall be and be deemed always to have been *substituted*.

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 6 of 1986

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 82 सा० (विधा०)-(1518)-1986-850 (मेक०)।